




राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड
State Council of Educational Research and Training, Uttarakhand
Tapovan Road, Nalapani, Dehradun
Phone: 0135-2789655 Fax: 0135-2789656, Website: www.scert.uk.gov.in
E-mail: scertuk@gmail.com, scert_ua@rediffmail.com




पत्रांक : SCERT/शि.शि. सेवापूर्व/ 526 /दो-1 (29)/2022-23 दिनांक 22 नवम्बर, 2023
द्विवर्षीय डी.एल.एड. (D.El.Ed.) प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2021-22 में सफल अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के उपरान्त जनपद आबंटन पश्चात् प्रवेश तिथि विस्तारित करने संबंधी सूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिनांक 20 मई, 2023 को आयोजित डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा- 2021-22 में चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा आयोजित की गई। एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या : SCERT/शि.शि.सेवापूर्व/6725-26/विज्ञप्ति/दो-1(29)/2022-23 दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से काउंसिलिंग के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के जनपद आबंटन एवं प्रवेश संबंधी निर्देश विज्ञप्ति किए गए। उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश से वंचित चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा आबंटित जनपद में प्रवेश लेने की तिथि को विस्तारित करते हुए प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 28 नवम्बर, 2023 निर्धारित की जाती है, पूर्व विज्ञप्ति की शेष शर्तें एवं दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। अतः उक्त के संबंध में विज्ञप्ति एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.scertuk.gov.in तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in एवं शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गयी है। अभ्यर्थी दिनांक 28 नवम्बर, 2023 तक अनिवार्य रूप से आबंटित जनपद के संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।


अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ.सं. : SCERT/शि.शि. सेवापूर्व/7460-62 /दो-1 (29)/2022-23 दिनांक - उक्ताकित्।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सम्पादक, अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त संशोधित विज्ञप्ति को 10X7 सेमी. के साइज में अपने लोकप्रिय दैनिक सामाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे जिसका प्रचार-प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।


अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
देहरादून